न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर,जिला चित्तौड़गढ (राज)

पीठासीन अधिकारी – मांगीलाल रेगर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 75/2016 दिनांक 24–04–2017

1. श्री गुल मोहम्मद खॉ पिता श्री अब्दुल शकुर खॉ जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी सादलखेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)

............वादी

।। बनाम ।।

1. अमीर अफजल खॉ पिता मीर मोहम्मद खॉ जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी सादलखेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
2. ईशाक खॉ पिता नुर मोहम्मद खॉ जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी सादलखेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर।

..................प्रतिवादीगण

वाद धारा 53,188 आर.टी.ए.

उपस्थित – श्री सूरपाल सिंह वकील वादी
श्री छोगा लाल वकील प्रतिवादी

:: निर्णय ::

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188, के तहत प्रस्तुत किया गया कि मौजा सादलखेडा की आराजी नम्बर 7, 8, 59 , 223 किता 4 कुल रकबा 3.44 हैक्टेयर भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज जिसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा रकबे की कमी बेशी एवं लगान अदायगी को लेकर पक्षकारों में विवाद होता रहता है अतः हक हिस्सा की नपती पैमूद कराई जाकर विभाजन कराया जावे जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा अनुसार एवं पक्षकरान के कब्जे को ध्यान में रखते हुए मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया जाकर अलग अलग खातेदारी में दर्ज की जावे । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद कार्यवाही दिनांक 11–2–2017 को प्राथमिक स्तर डिकी किया गया तथा तहसीलदार भदेसर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कमीशनर नियुक्त किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

कमीशनर तहसीलदार भदेसर द्वारा आदेश की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया गया । वादी की ओर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0आर0पी0सी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया मुख्य रोड की तरफ वादी प्रतिवादीगण का समान हिस्सा रखते हुए विभाजन पुन: कराया जावे । प्रार्थना पत्र के खण्डन में लायक अधिवक्ता प्रतिवादी ने कथन किया कि वादीगण को वक्त बंटवारा किये जाने कमीशनर के समक्ष आपत्ती दर्ज करानी चाहिए थी । कमीशनर द्वारा मौके और कब्जे को ध्यान में रखते हुए विभाजन करते हुए बराबर बराबर भूमि बांटी गई है । कमीशनर द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस तामील कराई गई दौनों पक्ष मौके पर उपस्थित थे तथा बंटवारे से सहमत थे वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर किये गये है उस समय लिखित अथवा मौखिक आपत्ति कमीशनर के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई । वादी चाहते तो प्राथमिक डिक्री पर आपत्ती कर सकते थे अथवा उसकी अपील कर सकते थे । बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किया गया है ।

प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । न्यायालय प्रतिवादी के कथन से सहमत है कमीशनर तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री आदेश होने से वादी की आपत्ति खारीज की जाती है तथा हस्ब फर्द बंटवारा वाद अन्तिम रूप से डिक्री डिक्री किया जाता है तथा मौजा सादलखेडा पटवार मण्डल नपावली की वादवर्णित आराजीयात का पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

क. स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	अमीर अफजल खां पिता मीर मोहम्मद खां मुसलमान सा0देह के हिस्से में रहेगी	59/3	0.31	6.51
		59/6	0.29	6.30
		8/2	0.36	5.04
		7/2	0.11	1.68
		7/5	0.01	0.14
		223/1	0.04	1.68
	योग	किता–6	1.45	21.35 रू0
2	गुल मोहम्मद पिता अब्दुल शकूर खां मुसलमान सा0देह रहेगी	59/1	0.31	6.51
		59/4	0.29	6.30
		8/3	0.36	5.04
		7/3	0.11	1.68
		59/8	0.01	0.21
		223/3	0.04	1.68
	योग	किता–6	1.12	21.42 रू0

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.10 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

Scanned by TapScanner

इशाक खां पिता नूर मोहम्मद खां मुसलमान सा0देह के हिस्से में रहेगी	59/2 59/5 8/1 7/1 7/6 223/2	0.31 0.29 0.36 0.11 0.01 0.04	6.51 6.30 5.04 1.68 0.14 1.68
योग	**किता–6**	**1.12**	**21.35**
शामलाती पूर्वानुसार रहेगी	59/7 7/4 223/4	0.03 0.03 0.02	रास्ता रास्ता रास्ता
योग	किता–3	0.08	–

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । आशय का पर्चा डिकी अलग से मुर्तिब हो ।

निर्णय आज दिनांक 24–04–2017 को खुले न्यायालय में टंकित जाकर सुनाया गया। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

(गांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner